अमित चंचल झा

बनाम

दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार

(आपराधिक अपील सं 864-865/2012)

12 दिसंबर, 2014

[टी. एस. ठाकुर और अदर्श कुमार गोएल, न्यायाधिपतिगण]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971: धारा 2 (ग)-आपराधिक अवमानना- आरोप कि अपीलार्थी-अधिवक्ता ने न्यायिक कार्यवाही के दौरान एक महिला अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार किया-पीठ द्वारा मामला चैंबर में लिया गया-अपीलार्थी ने आरोप स्वीकार किया- आपराधिक अवमानना के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया और कारावास से गुजरने की सजा 7 दिन के कारावास की सजा और 3 महीने के लिए अदालत में पेश होने से प्रतिबंधित किया गया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया -अभिनिर्धारित अपीलार्थी अस्थिर रुख अपना रहा है-अपीलार्थी द्वारा दी गई माफी पर्याप्त ईमानदार नहीं है की उसे स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि को दरकिनार किया जा सके- मामले को बी.

सी. आई. को भेजने के निर्देश को रद्द करने के अलावा विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है ।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

अपीलकर्ता का रुख ढुलमुल रहा है। उन्होंने पहली बार 13 जनवरी, 2012 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष आरोप को स्वीकार करते हुए एक बयान दिया था। अपीलकर्ता ने आवेदन दायर करके उक्त रुख को आंशिक रूप से वापस लेने की मांग की। इसके बाद अपीलकर्ता ने इस अदालत में अपनी याचिका में न केवल महिला वकील बल्कि उच्च न्यायालय का भी खंडन करने की कोशिश की। इसके बाद, जब मामला सुनवाई के लिए आया और पक्षों के वकील के संयुक्त अनुरोध पर, मामले को स्थगित कर दिया गया, अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ सभी आरोपों को वापस लेते हुए एक हलफनामा दायर किया गया है। तथापि, उन्होंने खंडपीठ और संयुक्त रजिस्ट्रार के आदेश में तथ्यों की गलत रिकॉर्डिंग को जिम्मेदार ठहराते हुए उच्च न्यायालय के खिलाफ आरोपों को वापस नहीं लिया है। [पैरा 15] [631-एच; 632-ए-बी]

आर. के. आनंद बनाम पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय **(2009) 8 एससीसी 106 : 2009 (11)** ***एस. सी. आर. 1026;*** *संजीव दत्ता, उप सचिव, मंत्रालय सूचना और प्रसारण विभाग,* रि **(1995) 3 एससीसी 619:**

1995 (3) एस. सी. आर. 450; *बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एम. वी. दाभोलकर* **(1976) 2 एस. सी. सी. 291: 1976 (2) एस. सी. आर. 48-**पर निर्भर।

2. न्यायालय द्वारा अवमानना की शक्ति को बिना गंभीरता के शुरू नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से एक वकील के खिलाफ लेकिन तथ्य यह रहेगा कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग जनता के हित में और न्याय के उचित प्रशासन के हित में भी आवश्यक है। इसे देखते हुए विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, इस मामले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजने के निर्देश को रद्द करने के अलावा । [पैरा 18,21] [436-ई-एफ; 440-एफ-जी]

प्रीतम पाल बनाम *एम. पी. का उच्च न्यायालय* **1993 (पूरक) 1 एस. सी. सी. 529** - पर निर्भर किया।

प्रवीण सी. शाह बनाम *के. ए. मोहम्मद अली* **(2001) 8 एससीसी 650 : 2001 (3) (पूरक) एस. सी. आर. 675-लागू।**

न्यायिक दृष्टांत संदर्भः

2009 (11) एससीआर 1026 के पैरा 16 पर निर्भर किया गया

1995 (3) एससीआर 450 के पैरा 17 पर निर्भर किया गया

1976 (2 एससीआर 48 के पैरा 17 पर निर्भर किया गया

1993 (पूरक) 1 एस. सी. सी. 529 के पैरा 18 पर निर्भर किया गया

2001 (3) (पूरक) एस. सी. आर. 675 के पैरा 19 पर निर्भर किया गया

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील स. 864-865/2012

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आपराधिक अवमानना स. 1/2012 में 13.01.2012 दिनांकित और आपराधिक विविध स. 753/2012 दिनांकित 16.01.2012 निर्णय और आदेश

अपीलकर्ता(ओं) के लिए श्री एम एन कृष्णमणि, ए शरण, विवेक सिंह, राजीव यादव, असीम चंद्रा, अविनाश त्रिपाठी, राघवेंद्र तिवारी।

प्रतिवादी के लिए हुजेफा ए अहमदी, गीता लूथरा, जी रामकृष्ण प्रसाद, फिल्जा मूनिस, पूर्णिमा भट्ट।

न्यायालय का निर्णय **आदर्श कुमार गोयल, न्यायाधिपति. द्वारा** सुनाया गया

1. ये अपीलें में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आपराधिक अवमानना संख्या 1/2012 में दिनांक 13 जनवरी, 2012 के निर्णय और आदेश और आपराधिक विविध संख्या 753/2012 में 16 जनवरी, 2012 के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं।

2. अपीलकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाला एक अधिवक्ता है। 13 जनवरी, 2012 को उन्होंने उच्च न्यायालय में संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में तैनात एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष न्यायिक कार्यवाही के दौरान एक महिला वकील (पहचान का उल्लेख नहीं किया गया) के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। संयुक्त रजिस्ट्रार ने देखा कि महिला वकील रो रही थी और उसने कहा कि अपीलकर्ता ने उसे थप्पड़ मारा था। अपीलकर्ता ने भी यह शिकायत की कि उसे भी थप्पड़ मारा गया। संयुक्त रजिस्ट्रार ने महिला वकील को अपने चैंबर में बैठने को कहा ताकि सामान्य स्थिति बहाल हो सके। इस मामले का उल्लेख वकीलों के एक समूह ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किया था। मामले को बेंच ने चैंबर में उठाया और संयुक्त रजिस्ट्रार ने घटना के संबंध में उनके द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही की प्रति पेश की। हालाँकि, शालीनता बनाए रखने के लिए 13 जनवरी, 2012 को बेंच द्वारा पारित आदेश में घटना का सटीक विवरण नहीं दिया गया है। पूछताछ करने पर अपीलकर्ता ने आरोप स्वीकार कर लिया। उन्हें सूचित किया गया कि उनके आचरण में

आपराधिक अवमानना शामिल है और पूछा गया कि क्यों न उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि वह कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं और आरोप के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हैं।

3. उचित विचार के बाद, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने माना कि अपीलकर्ता के आचरण से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हुआ और न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न हुई और यह अपमानजनक था। ऐसा प्रतीत हुआ कि अपीलकर्ता क्रूर बल के प्रयोग का आदी था जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत था। ऐसी घटनाओं से युवा अधिवक्ता अदालत से दूर भागेंगे। तदनुसार, अपीलकर्ता को आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया और सात दिनों के कारावास की सजा दी गई और जेल के कैदियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता कार्य करने के लिए कहा गया। उन्हें तीन महीने के लिए दिल्ली की किसी भी अदालत में पेश होने से प्रतिबंधित कर दिया गया और उचित कार्यवाही के लिए मामले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया।

4. इसके बाद, अपीलकर्ता ने इस आधार पर आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया कि मामला अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) के तहत 'आपराधिक अवमानना' की परिभाषा में नहीं आता है। दोनों वकीलों के बीच संयुक्त रजिस्ट्रार की

उपस्थिति में विवाद नहीं हुआ था और इस प्रकार यह न्यायालय की अवमानना का मामला नहीं था। इसके अलावा, अपीलकर्ता की हरकत जानबूझकर नहीं की गई थी क्योंकि यह उस पल में बस हो गई थी। अपीलकर्ता को पछतावा और ग्लानि थी और उसने बिना समय बर्बाद किए खेद व्यक्त किया था। उसके द्वारा उक्त कृत्य को दोहराने की कोई संभावना नहीं थी और उसे न्यायालय से डिबारमेंट की सजा के खिलाफ कारण बताने के लिए नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। उन्होंने कारावास के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की परंतु खंडपीठ को आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिली। यह माना गया कि अपीलकर्ता के पास लगभग सात साल का अनुभव था और उसने घटना को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि उसे नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक महिला अधिवक्ता के साथ शारीरिक शोषण का अशोभनीय व्यवहार निर्विवाद था। यह घटना अदालत के सामने और न्यायिक कार्यवाही के दौरान हुई। यदि अपीलकर्ता की याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो यह वादियों और उनके वकीलों को अदालती कार्यवाही के दौरान बल प्रयोग करके हिसाब बराबर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अपीलकर्ता को उचित अवसर दिया गया था लेकिन वह कोई जवाब दाखिल नहीं करना चाहता था और चाहता था कि मामले को समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा, उसके पास अपने व्यवहार के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता था। तदनुसार, आवेदन 16 जनवरी, 2012 को खारिज कर दिया गया।

5. इसके बाद अपीलकर्ता ने ये अपीलें दायर कीं। महिला वकील को कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था।

6. अपील में उठाया गया तर्क यह है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित आदेश उचित नहीं था क्योंकि कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। स्थगन की मांग करने और मुख्य वकील के साथ उनकी उपस्थिति पर आपत्ति जताने में महिला वकील के अनुचित व्यवहार के कारण विवाद हुआ। महिला वकील ने उसे डांटा और थप्पड़ भी मारा और उसने भी प्रतिक्रिया स्वरूप उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद उसने उसे कई थप्पड़ मारे। महिला अधिवक्ता ने झूठी शिकायत की कि अपीलकर्ता ने उसे थप्पड़ मारा था। उसने पहले उसे थप्पड़ मारा था। अपीलकर्ता ने रजिस्ट्रार के सुझाव के अनुसार बिना शर्त माफी की पेशकश की जिसके बाद उसे फिर से थप्पड़ मारा गया। संयुक्त रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में तथ्यों का सही उल्लेख नहीं किया गया। बार-बार थप्पड़ मारने के कारण अपीलकर्ता के होठों पर भी सूजन आ गई थी, जो उच्च न्यायालय के औषधालय के दवा के पर्चे से स्पष्ट था। इसके बाद जिस वकील के साथ महिला वकील काम कर रही थी, उसके वकील ने उसे जोर से धक्का दिया और गाली-गलौज भी की। अपीलकर्ता को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया था। उन्हें बार के सदस्यों द्वारा सलाह दी गई और वरिष्ठ सदस्यों के

आश्वासन पर कि चूंकि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उसे न्यायपालिका में विश्वास जताते हुए मामले को शांत करने के लिए बिना शर्त माफी मांग लेनी चाहिए। यह घटना महिला वकील की पहल पर हुई जो घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थी। अपीलकर्ता मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख सका। संयुक्त रजिस्ट्रार का आदेश उन्हें नहीं दिखाया गया। कई अधिवक्ताओं ने महिला अधिवक्ता का समर्थन किया और अपीलकर्ता को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। बिना शर्त माफी मांगने के बावजूद उनके खिलाफ कारावास का आदेश पारित होने से वह स्तब्ध थे। उन्हें बताया गया कि समझौते की शर्तें चल रही हैं लेकिन फिर भी उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 13 जनवरी 2012 के आदेश में दर्ज अभद्र व्यवहार सही नहीं था। वापस बुलाने के लिए आवेदन उनकी पत्नी द्वारा किया गया था, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया और अपीलकर्ता की पत्नी की उपस्थिति को स्वीकार किए बिना ही 16 जनवरी, 2012 का आदेश पारित कर दिया गया।

7. अपीलकर्ता के अनुसार उसकी बिना शर्त माफी को गलत समझा गया और उसे निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने धारणा की अपीलकर्ता द्वारा आरोप स्वीकृति कर ली गई है, उक्त तथ्य कि सत्यता की पुष्टि किए बिना और लिखित आरोप की स्वीकृति के सबूत के बिना, एक गलत धारणा पर निष्पक्ष प्रक्रिया के सिद्धांतों की अनदेखी

करके गंभीर गलती की और अपीलकर्ता को दोषी ठहरा दिया। महिला अधिवक्ता की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं की गयी है। अवमानना के आरोपों को उचित संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक है। उसे उचित उपाय करने में सक्षम बनाने के लिए सजा को निलंबित नहीं किया गया था। तनाव भरे माहौल में उनकी मानसिक स्थिति का ठीक से आकलन नहीं किया गया। अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से कुछ भी स्वीकार नहीं किया था। उन्हें कोई विधिक सहायता नहीं दी गई। यह गलत तरीके से आकलन किया गया कि अपीलकर्ता ने अभद्र व्यवहार और शारीरिक शोषण पर मतभेद दर्शित नहीं किया था क्योंकि अपीलकर्ता को कभी भी आरोपों के बारे में सूचित या जागरूक नहीं किया गया था और केवल अदालत के आदेश से ही इसकी जानकारी हुई थी। उस पर डिबारमेंट का विशेष नोटिस दिया जाना आवश्यक था। स्वप्रेरणा से अवमानना की शक्ति का प्रयोग कम ही किया जा सकता है जब न्यायालय को स्वयं स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान मामले में, कार्यवाही शिकायतकर्ता-महिला वकील के कहने पर हुई, जिसका प्रतिनिधित्व वकीलों की एक टीम ने किया। कार्यवाही महिला अधिवक्ता के वरिष्ठ सहयोगी की व्यक्तिगत दुश्मनी से प्रेरित थी। अपीलकर्ता को अपने बचाव में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई। अपीलकर्ता ने प्रदर्श पी4 से पी8 दाखिल करने की अनुमति के लिए भी आवेदन दायर किया है। प्रदर्श पी4 डिस्पेंसरी का

एक दवा का पर्चा है और प्रदर्श पी5 से पी8 अपीलकर्ता के मामले के समर्थन में अधिवक्ताओं के हलफनामे हैं।

8. महिला वकील द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर विवाद करते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। उसने अपीलकर्ता के अभद्र हमले के विवरण का भी उल्लेख किया है जिसे हम रिकॉर्ड करना उचित नहीं समझते हैं। अपीलकर्ता ने याचिका में अपनाए गए रुख को दोहराते हुए एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया है।

9. जब मामला 24 नवंबर, 2014 को सुनवाई के लिए आया, तो पक्षों के विद्वान वकीलों के संयुक्त अनुरोध पर कुछ सुनवाई के बाद, मामले को 8 दिसंबर, 2014 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 2 दिसंबर, 2014 को इस न्यायालय में हलफनामा दिनांक 2 दिसंबर, 2014 को निम्नांकित अनुसार दायर किया गया:

> *"1. मैं माननीय उच्च न्यायालय में दायर वर्तमान आपराधिक अपील, प्रत्युत्तर शपथ पत्र, रिकॉल आवेदन दिनांक 14.01.2012 या किसी अन्य आवेदन/याचना में अप्रार्थी नंबर 2 के खिलाफ किए गए सभी दावों, आरोपों, बयानों आदि को वापस लेता हूं।*

2. कि मैं 13.01.2012 को माननीय उच्च न्यायालय में हुई घटना के संबंध में इस माननीय न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय से बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगता हूं।

3. कि मैं 13.01.2012 को माननीय उच्च न्यायालय में हुई घटना के संबंध में प्रत्यर्थी नंबर 2 से बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगता हूं।

4. कि अभिसाक्षी अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता है कि उसकी माफी वास्तविक और सद्भावनापूर्ण है और इसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाए है और अभिसाक्षी को अवमानना से मुक्त किया जाए।"

10. एक महिला वकील द्वारा एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें विशाखा में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एक समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। 68 महिला अधिवक्ताओं द्वारा भी दिशा निर्देशों को लागु करने के लिए एक आवेदन इस आधार पर दायर किया गया है कि मामला बार की महिला सदस्यों से संबंधित है।

11. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.एन. कृष्णमणि, श्री ए. शरण, अधिवक्ता और महिला अधिवक्ता की

ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुज़ेफ़ा ए. अहमदी को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

12. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने निवेदन किया है कि अपीलकर्ता द्वारा अदालत और महिला वकील से अयोग्य और बिना शर्त माफी मांगने और महिला वकील के खिलाफ आरोपों को वापस लेने के हलफनामे के मद्देनजर, इस न्यायालय को दोषी की सजा को रद्द करना चाहिए। अपीलकर्ता वह पहले ही कारावास की सज़ा काट चुका था और दिल्ली की किसी भी अदालत में पेश होने से रोक की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। न्यायालय उचित कार्यवाही करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मामले की रिपोर्ट करने के निर्देश को भी रद्द कर चाहिए क्योंकि ऐसा निर्देश अनावश्यक था।

13. दूसरी ओर, महिला अधिवक्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अहमदी ने कहा कि इस प्रकृति के मामले में जहां न्यायालय और महिला अधिवक्ता की गरिमा शामिल है, केवल बिना शर्त माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां दोषसिद्धि को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, उन्होंने कहा कि इस स्तर पर मामले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को संदर्भित करना आवश्यक नहीं हो सकता है क्योंकि इस मामले को अदालत ने आपराधिक अवमानना के मुद्दे पर विचार करते हुए निपटाया है। उन्होंने कहा कि इस अदालत को इस धारणा को दूर करना

चाहिए कि एक वकील गंभीर कदाचार कर सकता है और फिर केवल माफी मांगकर बच सकता है जिसे इन परिस्थितियों में ईमानदारी से देना नहीं माना जा सकता है।

14. हमने इस मामले में हमारे सामने उठाए गए संवेदनशील मुद्दे पर उत्सुकतापूर्वक विचार किया है।

15. हमें श्री अहमदी की दलील में दम नजर आता है कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई माफी इतनी ईमानदार नहीं है कि उसे स्वीकार किया जाए ताकि दोषसिद्धि को रद्द किया जा सके। हमने उपरोक्त कार्यवाही का विवरण पुनः प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता का रुख ढुलमुल रहा है। उन्होंने पहली बार 13 जनवरी, 2012 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष आरोप को स्वीकार करते हुए एक बयान दिया। उसने वापस लेने का आवेदन पेश कर उक्त रुख को आंशिक रूप से वापस लेने की मांग की। इसके बाद अपीलकर्ता ने इस अदालत में अपनी याचिका के दौरान न केवल महिला वकील बल्कि उच्च न्यायालय का भी खंडन करने की कोशिश की। इसके बाद, जब मामला सुनवाई के लिए आया और पक्षों के वकील के संयुक्त अनुरोध पर, मामले को स्थगित कर दिया गया, प्रत्यर्थी नंबर 2 के खिलाफ सभी आरोपों को वापस लेते हुए एक हलफनामा दायर किया गया है। तथापि, उन्होंने खंडपीठ और संयुक्त रजिस्ट्रार के

आदेश में तथ्यों की गलत रिकॉर्डिंग को जिम्मेदार ठहराते हुए उच्च न्यायालय के खिलाफ लगाए आरोपों को वापस नहीं लिया है।

16. इस न्यायालय द्वारा पहले इस बार के कुछ सदस्यों के गिरते मानकों को स्वीकार किया है और बार-बार उजागर होने वाले उदाहरणों के कारण उक्त दृष्टिकोण को दोहराना आवश्यक हो गया है। *आर० के० आनंद* बनाम *रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय*[1] के मामले में, इस न्यायालय ने वकीलों के बीच नैतिक और पेशेवर मानकों में गिरावट पर अपनी गंभीर चिंता और निराशा इस प्रकार व्यक्त की:

> "331. इस मामले में सामने आया दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा और जो हम दोनों के लिए गंभीर चिंता और निराशा *का कारण बनता है, वह है वकीलों के बीच नैतिक और पेशेवर मानकों में गिरावट। दो अपीलकर्ताओं (एक को अदालत की आपराधिक अवमानना करने का दोषी पाया गया और दूसरे को विशेष लोक अभियोजक के रूप में कदाचार का दोषी पाया गया), दोनों लंबे समय से वकील और नामित वरिष्ठ अधिवक्ता है उनके आचरण को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। कड़वी सच्चाई यह है कि मामले के तथ्य सभी स्तरों पर वकीलों के बीच पेशेवर*

1

मूल्यों के सामान्य क्षरण की अभिव्यक्ति हैं। हम आज वकीलों को ऐसी प्रथाओं में लिप्त पाते हैं जिनसे बमुश्किल दो या तीन दशक पहले के इस पेशे के उनके पूर्ववर्ति हैरान होते होंगे। वकीलों के एक वर्ग द्वारा अपनाई जाने वाली कई प्रकार की अनैतिक प्रथाओं को छोड़ दें तो हम पाते हैं कि कुछ बेहद सफल वकील भी आचरण के खुद के नियमों के अनुसार जीते हैं।

xxxxxxx

333. हम वकीलों के बीच गिरते पेशेवर मानदंडों पर काफी पीड़ा के साथ अपनी चिंता व्यक्त करते हैं क्योंकि हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि जब तक इस प्रवृत्ति को तुरंत रोका और उलटा नहीं जाता, तब तक देश में न्याय प्रशासन के लिए इसके बहुत हानिकारक परिणाम होंगे। लोकतांत्रिक समाज में कोई भी न्यायिक प्रणाली तब तक संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर सकती जब तक कि उसे ऐसे बार का समर्थन प्राप्त न हो जिसे लोगों का अटूट भरोसा और विश्वास प्राप्त हो, जो लोगों की आकांक्षाओं, आशाओं और आदर्शों को साझा करता हो और जिसके

सदस्य लोगों के लिए आर्थिक रूप से सुलभ और किफायती हों।

xxxxxxxxx

335. यहां हमें यह भी देखना होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विभिन्न राज्यों की बार काउंसिल इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं। वास्तव में बार काउंसिल ने देश में न्याय प्रशासन से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को बहुत सकारात्मक रूप से उठाया है। इसने वकीलों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किया है और इसने उनके कल्याण के लिए कई अच्छे काम किए हैं। लेकिन उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखने और वकीलों के बीच अनुशासन लागू करने के मुद्दे पर इसका प्रदर्शन शायद ही अन्य क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियों से मेल खाता हो। इसने इस बात पर भी अधिक चिंता नहीं दिखाई कि वकील परिषद द्वारा निर्धारित वैधानिक मानदंडों का पालन करें। हमें आशा और विश्वास है कि परिषद कम से कम अब उठेगी और न्यायिक प्रणाली और समाज में उनकी स्थिति के योग्य वकीलों के बीच उच्च पेशेवर मानकों की बहाली पर उचित ध्यान देगी।"

*17. हम **संजीव दत्ता, उप सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इन रे,**[2] मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों को भी याद कर सकते हैं, कि कानूनी पेशा एक सत्यनिष्ठ और गंभीर पेशा है। यह एक महान आह्वान है और इससे जुड़े सभी लोग इसके सम्माननीय सदस्य हैं। इसके सदस्यों को न्यायालय के अंदर और बाहर अपने अनुकरणीय आचरण से सम्मान कानूनी पेशे के रूप में बनाए रखना होगा। वकील को अपने पेशे के साथ-साथ निजी और सार्वजनिक जीवन में भी दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में आचरण करना होता है। समाज को उससे आदर्श आचरण की अपेक्षा करने का अधिकार है। इस न्यायालय ने कहा:*

> *"20. वकालत का पेशा एक पवित्र और गंभीर पेशा है। यह एक महान आह्वान है और इससे जुड़े सभी लोग इसके सम्माननीय सदस्य हैं। यद्यपि पेशे में प्रवेश केवल तकनीकी योग्यता की क्षमता प्राप्त करके किया जा सकता है, एक पेशेवर के रूप में सम्मान को इसके सदस्यों द्वारा* अदालत के अंदर और बाहर अपने अनुकरणीय आचरण द्वारा बनाए रखना होगा। कानूनी पेशा अन्य पेशों से इस मायने में अलग है कि वकील जो करते हैं, वह न केवल किसी व्यक्ति को बल्कि न्याय प्रशासन को भी प्रभावित करता है जो सभ्य समाज की नींव है। समाज के

2

बुद्धिजीवियों के एक अग्रणी सदस्य और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, वकील को अपने पेशेवर और अपने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में आचरण करना होता है। समाज को उससे ऐसे आदर्श व्यवहार की अपेक्षा करने का अधिकार है। यह नहीं भूलना चाहिए कि कानूनी पेशे को हमेशा उच्च सम्मान में रखा गया है और इसके सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस देश में कानूनी और न्यायिक प्रणालियों के प्रति सम्मान कम नहीं है, क्योंकि उन्हें मजबूत करने में पेशे के दिग्गजों ने अथक भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने पेशे को गंभीरता से लिया और गरिमा, सम्मान और भक्ति के साथ इसका अभ्यास किया। यदि पेशे को जीवित रखना है, तो न्यायिक प्रणाली को सक्रीय बनाना होगा। सिस्टम को कुशल, प्रभावी और विश्वसनीय बनाने में कोई भी सेवा छोटी नहीं होगी। जिस लापरवाही और उदासीनता के साथ कुछ सदस्य इस पेशे का अभ्यास करते हैं, वह निश्चित रूप से उस उद्देश्य को प्राप्त करने या पेशे या जिस संस्थान में वे सेवा कर रहे हैं उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सम्मिलित नहीं होते है। यदि इसके कुछ सदस्यों के विचलित तरीकों के कारण लोग इस पेशे में

विश्वास खो देते हैं, तो न केवल पेशे को भुगतना होगा, बल्कि संपूर्ण न्याय प्रशासन को भी भुगतना होगा। यदि वर्तमान प्रवृत्ति की जांच नहीं की गई तो यह एक ऐसे चरण में ले जाने की संभावना है जब सिस्टम बाहर से बर्बाद होने से पहले भीतर से बर्बाद हो जाएगा। यह सदस्यों के लिए है कि वे आत्मनिरीक्षण करें और समय रहते सुधारात्मक कदम उठाएं और अदालतों को अप्रिय कर्तव्य को करने से बचाएं। हम और कुछ नहीं कहते।"

'**बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एम० वी० दाभोलकर**[3] में, यह देखा गया:

"15. अब पेशेवर आचरण के सिद्धांतों से संबंधित कानूनी मुद्दे पर। कानून का शासन लोकतंत्र के खंडहरों पर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जहां कानून समाप्त होता है वहां अत्याचार शुरू होता है। यदि यह हमारे गणतंत्र के अस्तित्व के लिए मुख्य विचार है, तो वकील और जनता के बीच का अभिन्न बंधन अटूट है। और वकील की महत्वपूर्ण भूमिका उसकी ईमानदारी और पेशेवर जीवनशैली पर निर्भर करती है। याद रखें कि कानूनी पेशे का केंद्रीय कार्य न्याय

3

प्रशासन को बढ़ावा देना है। यदि कानून का अभ्यास इस प्रकार महान मंशा की एक सार्वजनिक उपयोगिता है और राष्ट्र द्वारा वैधानिक रूप से एकाधिकार प्रदान किया जाता है, तो यह वकील को उन मानदंडों का ईमानदारी से पालन करने के लिए बाध्य करता है जो उसे न्याय के साधन के रूप में समुदाय के विश्वास के योग्य बनाते हैं- सामाजिक न्याय। बार संदिग्ध निष्ठा के साथ व्यवहार नहीं कर सकता या मुकदमेबाजी में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर सकता। आचरण के सिद्धांतों को कठोर नियमों में तब्दील नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभ्यासकर्ताओं की सामूहिक चेतना को इसे सही मानना चाहिए:

"एक पवित्र सार्वजनिक विश्वास के निर्वहन के लिए औचित्य और अनुचित घटनाओं के प्रति जागरूक विवेक होना चाहिए। यह स्व-हित और स्वार्थी महत्वाकांक्षा की अस्वीकृति द्वारा संचालित विवेक होना चाहिए। यह न्याय के उचित और निष्पक्ष प्रशासन में अग्रणी भूमिका निभाने की तीव्र इच्छा से प्रेरित एक विवेक होना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास हर समय इस विश्वास में कम न हो कि हम कानून के शासन को संरक्षित रखते हुए हमेशा सत्य

और न्याय की तलाश करेंगे। यह एक विवेक होना चाहिए, जो संदिग्ध वैधता के कठोर नियमों से आकार नहीं लेना चाहिए, बल्कि केवल एक नैतिक संहिता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए जो गैर-जिम्मेदार न्यायाधीशों को पेशे से बाहर कर देगा। ऐसे विवेक के बिना, कोई न्यायाधीश नहीं होना चाहिए" [माननीय जॉन एस. हेस्टिंग्स: न्यायिक नैतिकता जैसे कि यह पैसा बनाने की गतिविधियों में भागीदारी से संबंधित है - न्यायिक नैतिकता पर सम्मेलन, पी० 8., द *स्कूल ऑफ लॉ, शिकागो विश्वविद्यालय (1964)]।"*

-और, हम कोई वकील नहीं जोड़ना चाहेंगे। पेशेवर आचरण के लिए ऐसे उच्च मानक निर्धारित है जैसा कि इस देश और अन्य जगहों की अदालतों द्वारा प्रतिपादित किया गया है।"

18. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अवमानना की शक्ति को न्यायालय द्वारा बिना गंभीरता के शुरू नहीं किया जाना चाहिए, खासकर एक वकील के खिलाफ, लेकिन तथ्य यह है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग जनता के हित में और उचित न्याय प्रशासन के हित में भी आवश्यक हो जाता है। इस पहलू पर क ***<u>प्रीतम पाल</u> बनाम <u>उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश</u>***

[4]में विचार किया गया था, जिसमें बहुत से निर्णयों का संदर्भ दिया गया था और यह देखा गया था:

> "48. मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस [(1970) 1 ए एल एल इ आर 1079] में पृष्ठ 1081 पर, एम आर, लॉर्ड डेनिंग, ने कहा: (ALL ER पृष्ठ 1081)
>
> "न्याय के कार्यप्रणाली को विचलित या उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग इस पर प्रहार करते हैं वे हमारे समाज की बुनियाद पर प्रहार करते हैं।"

49. उसी मामले में, लॉर्ड जस्टिस सैल्मन ने कहा: (ए एल एल इ आर पृष्ठ 1087)

> "अवमानना की कार्यवाही का एकमात्र उद्देश्य हमारी अदालतों को शक्ति देकर जनता के अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा करके न्याय प्रशासन बाधित या रोका नहीं जाने को सुनिश्चित करना है"

50. जे फ्रैंकफर्टर, न्यायाधिपति ने ऑफुट बनाम यू.एस. [348 यूएस 11 (1954)](यूएस पृष्ठ 14) में अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया:

4

"यह रुकावट और आक्रोश के खिलाफ, अपनी सक्रिय अभिव्यक्ति में, कानून की महिमा की पुष्टि करने का एक तरीका है।"

51. जेनिसन बनाम बेकर [(1972) 1 ए एल एल ईआर 997](ऑल ईआर पी. 1006) में यह कहा गया है:

"कानून को चुपचाप बैठे नहीं देखा जाना चाहिए, जबकि जो लोग इसकी अवहेलना करते हैं वे स्वतंत्र हो जाते हैं, और जो लोग इसकी सुरक्षा करते हैं, आशा खो दो।"

52. चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायाधिपति ने एडवोकेट जनरल, बिहार राज्य बनाम एमपी खैर इंडस्ट्रीज [(1980) 3 एससीसी 311] में बेंच के लिए बोलते हुए ऑफुत और जेनिसन के दो मामलों का हवाला देते हुए इस प्रकार कहा: (एससीसी पृष्ठ 315, पैरा 7)

"... आचरण का एक तरीका जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है और उसका मजाक बनाता है और जो इस प्रकार कार्यवाही के पक्षकारों से परे अपने हानिकारक प्रभाव को बढ़ाता है और न्याय प्रशासन में जनता के हित को प्रभावित करता है इसे अवमानना के रूप में दंडित *करना आवश्यक हो जाता है। न्याय के प्रभावी और*

व्यवस्थित प्रशासन में जनता का हित, स्थायी और वास्तविक हित और महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, क्योंकि जब तक न्याय इस प्रकार प्रशासित नहीं किया जाता है, तब तक सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं के नष्ट होने का खतरा है। न्याय के उचित प्रशासन में जनता के हितों की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है और इसलिए, उसे अदालत की अवमानना के लिए भेजने की शक्ति सौंपी गई है, न कि अपमान या चोट के खिलाफ अदालत की गरिमा की रक्षा करने के लिए जैसा की अभिव्यक्ति "न्यायालय की अवमानना" सुझाव देती प्रतीत हो सकती है, लेकिन यह जनता के अधिकार की रक्षा और पुष्टि करने के लिए है कि न्याय प्रशासन को रोका, पूर्वाग्रहित, बाधित या हस्तक्षेप न किया जाए।

19. जहां तक क्षमायाचना का संबंध है, हम ***<u>प्रवीण सी० शाह</u>*** *बनाम* ***<u>के० ए० मोहम्मद अली</u>***[5] *मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों को याद कर सकते हैं। 5:*

5

“28. xxxxxx यह पर्याप्त नहीं है कि वह माफ़ी मांग ले। दी गई माफ़ी से अदालत पर यह प्रभाव पड़ना चाहिए कि वह वास्तविक और ईमानदार है। xxxxx

29.इस न्यायालय ने एम० वाई० शरीफ बनाम नागपुर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों [एआईआर (1955) एससी 19] में माना है कि

"माफी अपने दोषियों को अपने अपराध से शुद्ध करने के लिए बचाव का हथियार नहीं है; न ही इसका उद्देश्य सार्वभौमिक रामबाण के रूप में कार्य करना है, बल्कि इसका उद्देश्य वास्तविक पश्चाताप का प्रमाण होना है।(एआईआर पृष्ठ 23, पैरा 10)

अहमदी, न्यायाधिपति (तब विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) ने एम० बी० सांघी एडवोकेट बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय [(1991) 3 एससीसी 600] में एक वकील द्वारा मांगी गई माफी पर विचार करते हुए एक अवमानना कार्यवाही में इस प्रकार कहा है: (एससीसी पृष्ठ 603, पैरा 2)

"और यहां पेशे का एक सदस्य है जिसने अपना प्रदर्शन संभवतः दोहराया है क्योंकि उसे पहले अवसर पर हल्के में छोड़ दिया गया था। नरम न्याय इसका उत्तर नहीं है - ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय उसके साथ कठोर रहा है - मेरा मतलब यह है कि उसे ऐसी माफी पर नहीं छोड़ा जा सकता जो ईमानदारी से दूर हो। उनकी माफी खोखली थी, इसमें कोई पछतावा नहीं था - कोई पछतावा नहीं था - यह केवल कानून की कठोरता से बचने का एक उपाय था। उन्होंने अपने हलफनामे में जो कहा वह यह था कि उन्होंने विद्वान न्यायाधीश द्वारा कहे गए शब्द नहीं कहे थे; दूसरे शब्दों में विद्वान न्यायाधीश झूठ बोल रहा था - चोट पर नमक छिड़क रहा था - और फिर भी यदि अदालत उसे दोषी पाती है (उसने मामले का पूरी ताकत से मुकाबला किया) तो उसकी अयोग्य माफी स्वीकार की जा सकती है। यह कोई माफ़ी नहीं है, यह महज़ बचने का एक उपाय है।”

30. मुल्क राज बनाम पंजाब राज्य [(1972) 3 एससीसी 839] में इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं जो हमारे सामने मौजूद प्रश्न पर काफी प्रकाश डालेंगी: (एससीसी पृष्ठ 840, पैरा 9)

> “9. क्षमा याचना पश्चाताप का कार्य है। जब तक माफी जल्द से जल्द अवसर पर और अच्छी कृपा से नहीं मांगी जाती, माफी पश्चाताप से रहित होती है। यदि माफी ऐसे समय मांगी जाती है जब अवमाननाकर्ता को पता चलता है कि अदालत सजा देने जा रही है तो यह माफी नहीं रह जाती है और यह एक कायरतापूर्ण कृत्य बन जाता है। अपीलकर्ता की 'बिना किसी अतिरिक्त शब्द के' माफ़ी की अभिव्यक्ति पर कोई ध्यान न देकर उच्च न्यायालय सही किया था। उच्च न्यायालय ने सही कहा कि मामले में माफी स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि अपराधी को घोर अवमानना करने के बाद दण्ड से मुक्ति मिल गई।"

31. इस प्रकार एक अवमाननाकर्ता द्वारा अदालत के समक्ष दिया गया मात्र एक बयान कि वह माफी मांगता है, खुद को अवमानना से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत को माफी के यथार्थ कथन से संतुष्ट होना चाहिए। यदि अदालत इतनी संतुष्ट है और इसके आधार पर माफी को वास्तविक मान लेती है तो अदालत को यह कहते हुए आदेश देना होगा कि अवमाननाकर्ता ने खुद को अवमानना से मुक्त कर लिया है। जब तक न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता, तब

तक अपराधी अधिवक्ता, नियमों के नियम 11 में निहित निषेधाज्ञा के दायरे में बना रहेगा।

32. प्रतिवादी अधिवक्ता के विद्वान वकील श्री सदरुल अनम ने सबसे पहले प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने वास्तव में अपने द्वारा नियुक्त वकील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष माफी मांगी है, और दूसरा यह है कि जब इस न्यायालय ने देखा कि "इस तरह सब कुछ शांत कर देना चाहिए" इसे इस न्यायालय द्वारा की गई स्वीकृति के रूप में माना जाना चाहिए कि अवमाननाकर्ता ने खुद को अपराध से मुक्त कर लिया है।

33. हम उक्त किसी भी तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इस न्यायालय के फैसले में यह टिप्पणी कि "इस तरह सब कुछ शांत कर देना चाहिए" को उस मामले में प्रतिवादी द्वारा दिए गए तर्क के दायरे से परे कुछ भी नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, यह न्यायालय निश्चित रूप से इस न्यायालय में दी गई माफी को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था, जो स्पष्ट रूप से उस माफी को पूर्णत: अस्वीकार करने से प्रकट होता है जब इस न्यायालय ने ऐसा कहा:

> "हमें खेद है कि इस विलंबित समय पर हम उनकी माफ़ी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, बल्कि अपीलकर्ता को संविधान के तहत हमारी पूर्ण शक्तियों के तहत उनके

आचरण के लिए चेतावनी देंगे, जो हम इसके द्वारा करते हैं।"

20. उपरोक्त टिप्पणियाँ वर्तमान मामले पर उपयुक्त रूप से लागू होती हैं।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें मामले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को संदर्भित करने के निर्देश को रद्द करने के अलावा विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है क्योंकि हमने जो आदेश पारित किया है, उसके मद्देनजर ऐसा निर्देश अनावश्यक है।

22. उपरोक्त के अधीन, अपीलें खारिज की जाती हैं।

अपील ख़ारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक युधिष्टर मीना (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है। अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।